Vol 7 Issue 3 Dec 2017

ISSN No : 2249-894X

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Review Of Research Journal

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies,
Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Sanjeev Kumar Mishra

Advisory Board

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Fabricio Moraes de AlmeidaFederal University of Rondonia, Brazil

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Xiaohua Yang
University of San Francisco, San Francisco

Karina Xavier
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

May Hongmei Gao
Kennesaw State University, USA

Marc Fetscherin
Rollins College, USA

Liu Chen
Beijing Foreign Studies University, China

Mabel Miao
Center for China and Globalization, China

Ruth Wolf
University Walla, Israel

Jie Hao
University of Sydney, Australia

Pei-Shan Kao Andrea
University of Essex, United Kingdom

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea
Spiru Haret University, Romania

Mahdi Moharrampour
Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran

Titus Pop
PhD, Partium Christian University, Oradea,
Romania

J. K. VIJAYAKUMAR
King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Al. I. Cuza University, Iasi

REZA KAFIPOUR
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

Awadhesh Kumar Shirotriya

Nimita Khanna
Director, Isara Institute of Management, New Delhi

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

P. Malyadri
Government Degree College, Tandur, A.P.

S. D. Sindkhedkar
PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

C. D. Balaji
Panimalar Engineering College, Chennai

Bhavana vivek patole
PhD, Elphinstone college mumbai-32

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

Jayashree Patil-Dake
MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad

Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN

V.MAHALAKSHMI
Dean, Panimalar Engineering College

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University

Kanwar Dinesh Singh
Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.........

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.oldror.lbp.world

REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2017

मानवाधिकारों का प्रश्न उठाती हिन्दी कविता

डॉ. गोपीराम शर्मा[1], श्री भूपेन्द्र कुमार महेन्द्रा[2]
[1]सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)
[2]सहायक प्रोफेसर, ईएएफएम विभाग, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)

शोध सार (ABSTRACT)

मानवाधिकारों की चर्चा जरूर नयी है पर यह मांग किसी न किसी रूप में बहुत उर्से से होती रही है। मानव समाज के विकास के लिए मानवों के लिए कतिपय अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। भारत या विश्व के परिप्रेक्ष्य में मानव के कल्याण की बात संतों, विचारकों एवं दार्शनिकों द्वारा उठायी जाती रही है। सन् 1948 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई। साहित्यकार भी मानवाधिकारों का प्रश्न उठा रहा है। हिन्दी साहित्य में समकालीन कवि जीवन जीने, स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने, पुलिस अभिरक्षा में दुर्व्यवहार से बचने, पढ़ने, भोजन–वस्त्र पाने, आवास बनाने आदि विषयों को कविता में उद्घाटित कर रहा है। साहित्य की महत्ता यह है कि वह व्यक्ति को भीतर से बदलता है, इस दृष्टि से समकालीन हिन्दी कवि का कार्य सराहनीय है।

उद्देश्य (Objectives)

इस शोध का उद्देश्य मानवाधिकारों के इतिहास व वर्तमान को जानकर उसकी आवश्यकता को सामने लाना है। मानवाधिकारों का प्रश्न कानूनी है। पर साहित्य में भी मानवाधिकारों पर पर्याप्त चर्चा हो रही है, यह पक्ष ही यहाँ उद्घाटित करना उद्देश्य है। यह उल्लेखनीय है कि कानून का भय बाहय प्रतिबंध लगाकर व्यक्ति व समाज को ठीक करना होता है परन्तु साहित्य व्यक्ति में आन्तरिक बदलाव लाता है। मानवाधिकारों की पूर्णता के लिए यह शोध आलेख मार्ग प्रशस्त करेगा तथा शोधार्थी व पाठक साहित्य की वर्तमान धारा से भी परिचित हो सकेंगे।

मुख्य शब्द (Keywords)

मानवाधिकार, समाज, अवधारणा, कविता, आम आदमी, समानता, स्वतंत्रता, गरीबी, पुलिस, महिला, हिन्दी कवि, अस्मिता, जीवन आदि।

शोध प्रविधि (Methodology)

इस शोध आलेख में लिखित सामग्री यथा साहित्य व इतिहास की पुस्तकों के अध्ययन द्वारा सामग्री प्राप्त की जाएगी। लिखित सामग्री को आधार बनाकर द्वितीयक स्रोत के रूप में वांछित सूचनाओं एवं सन्दर्भों को प्राप्त कर सापेक्षवादी ज्ञान मीमांसा पद्धति का प्रयोग होगा। आगमन–निगमन पद्धति से निष्कर्ष प्राप्त होंगे। ये निष्कर्ष असहभागी अवलोकन के तहत प्राप्त किये जायेंगे।

निष्कर्ष

समकालीन कविता में मानवाधिकारों की पुरजोर वकालत की जा रही है। मानवाधिकारों को कानूनी रूप मिलने के बाद भी आमजन इन अधिकारों से दूर है। समकालीन हिन्दी कवि इसी त्रासदी व यथार्थ का चित्रण सामने रखता है और एक संवेदना जगाकर इस विषय पर ध्यानाकर्षण करने में सफल हो रहा है।

प्रस्तावना:

मानवाधिकारों की संकल्पना उतनी ही प्राचीन है जितनी

कि मानव सभ्यता। प्रत्येक समाज का संचालन कुछ मापदंडों से होता है फिर वे चाहे नैतिक हों या कानूनी। समाज की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए कतिपय नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। समाज रूपी संस्था की मूल इकाई मानव है। मानव के विकास से ही समाज का निर्माण और प्रगति संभव है। इसलिए कुछ ऐसे अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है जो व्यक्ति को मानव होने के नाते मिलें, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ग, जाति, व्यवसाय आदि कुछ भी हो। जो अधिकार मानव को स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त कर सके। ऐसे अधिकारों को मानवाधिकार कहा गया। मानवाधिकार से वर्तमान में तात्पर्य उन सभी अधिकारों से हैं जो आज व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। ये प्राकृतिक अधिकार हैं और ये मानव को जन्म लेते ही प्राप्त होते हैं।

भारतीय संस्कृति सदा से मानव अधिकारों जैसी बातों को प्रश्रय देती रही है। भारतीय वाङ्मय जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में मानव के कल्याण और अधिकारों की बात एक अवधारणा के रूप में विद्यमान है। 'वसुधैव कुटम्बकम्' व 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' जैसे विचार यहाँ प्राचीनकाल में दिखाई देते हैं। वैदिक समष्टिवादी चिन्तन में इसके तत्व विराजमान रहे हैं। इस प्रकार मानवाधिकारों का चिंतन भारत के लिये नयी बात नहीं कही जा सकती।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिकों के विचारों में इस अवधारणा के बीज मिल जाते हैं। ऐतिहासिक घटना के रूप 1215 में इंग्लैण्ड के शासक जॉन के विरूद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया और शासक ने जनता को कुछ अधिकार देने का पत्र जारी किया। इसे ही मेग्नाकार्टा के नाम से जाना गया। जन आंदोलनों की आवाजों एवं विचारकों के सिद्धान्तों के बीच 1789 ई. फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। इसी समय थामस पेन ने 'राइट्स ऑफ मैन' नामक पुस्तक लिखी। इन्हीं घटनाओं से पोषित होते हुए विचारों ने मानवाधिकारों का औपचारिक रूप लिया, जब सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इस घोषणा के द्वारा सभी राष्ट्रों के लोगों को एक समान अधिकार देने की बात कही गई।

संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा 68 के तहत सन् 1946 में श्रीमती एलोनोर रूजवेट की अध्यक्षता में मानव अधिकार आयोग बना। 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा हुई, इसमें 30 अनुच्छेद रखे गये। इन अनुच्छेदों में मानवाधिकारों को कई श्रेणियों में रखा गया– जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार व अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन व सभा का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, आर्थिक व सामाजिक आधार। इनमें वाक् स्वतंत्रता, न्यायिक उपचार, कार्य व आजीविका, आराम करने, सुविधापूर्ण जीने, शिक्षा, मनमानी ढंग से गिरफ्तारी के विरूद्ध रोक, स्त्री–पुरूष बराबरी, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने, भोजन, वस्त्र, आवास तथा धार्मिक स्वतंत्रता, संघ बनाने, संगोष्ठी करने, यौन शोषण के विरूद्ध अधिकार जैसे अनेक अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार नागरिक होने के नाते, संविधान द्वारा प्रदत्त न होकर मानव होने के नाते एवं जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं।

हिन्दी काव्य में मानवाधिकारों की चिंता भक्तिकाल में नजर आती है। कबीर के काव्य सहित संतों में यह भावना उद्घाटित होती है। आधुनिकता के उदय के साथ कविता का मूल विषय 'मनुष्य' बनकर सामने आता है। यहाँ मनुष्य की समस्याओं और पीड़ाओं को अभिव्यक्त किया गया है। समकालीन कविता सन् 1970 के बाद की हिन्दी कविता को कहा जाता है। इस कविता में मानव के अधिकारों को लेकर स्वर बुलंद हुआ है। आजादी के छह दशक बीत जाने के बावजूद भी सामाजिक स्तर में कोई उल्लेखनीय सुधार देखने को नहीं मिलता। सम्पन्न और विपन्न के बीच की खाई बढ़ रही है। भूख और गरीबी से मौतें हो रही हैं। भोजन का अधिकार मिल नहीं रहा। कवि इसी बात को कहता है– ''आजादी के चालीस वर्ष / कोई कम तो नहीं होते / कि हर व्यक्ति / दो 'जून' की रोटी खा सके / अपना तन ढँक सके / अपनी झोपड़ी में रह सके / सच कहूँ / इस व्यवस्था में अब जी पाना / नामुमकिन हो गया है / आदमी का आदमी की तरह।''[1] मानवाधिकार मनुष्य को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर देता है पर आज देश में गरीबों के हालात ऐसे हैं कि उसकी अस्मिता और गरिमा खो रही है। वह अपने जीने के अधिकार से वंचित हो रहा है। यह आम आदमी कविता में अपने इसी मानवाधिकार की मांग करता हुआ कहता है– ''मैं कोल्हू का बैल सदा का / दशा दिशा क्या जानूं अपनी / होश संभाला था तब से ही / बंद हो गए मेरी खातिर / जीने के सब तर्क।''[2]

समानता की मांग वर्षों से उठायी जा रही है, पर देश में सब लोग समानतापूर्वक नहीं रह पा रहे हैं। समानता का अधिकार मानवाधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी। व्यवस्था से सताया दलित समता, बंधुता एवं स्वतंत्रता का दम भरने वालों से प्रश्न करता है– ''अस्पृश्य, पशु से भी बदतर / निज श्वासों तक के लाले हैं / उत्पीड़न की जंजीरों में यूं कसा–फंसा सदियों से मैं / न मुर्दा हूँ न ही जी सकता / मेरे मौलिक अधिकार कहाँ हैं?''[3] मानवाधिकार व्यक्ति की आजादी की रक्षा करते हैं। देश में दरिद्रता, शोषण एवं जाति भेद के चलते आजादी सही मायने में आम आदमी तक नहीं पहुँची है। आजादी या स्वतंत्रता का अधिकार गरीबों के लिए नहीं है। उनकी जिन्दगी, अस्मत, इज्जत सब अमीरों की धरोहर है। इसलिए आजादी के अधिकार चिंता करता हुआ कवि उन लोगों की सही स्थिति का चित्रण करता हुआ कहता है– ''कुत्तों की रेस है जिन्दगी / जिसके गले से पट्टा उतार कर / कुछ क्षणों के लिए / एक मैदान में छोड़ दिया गया है / आगे पीछे, साथ–साथ / भागते हुए मस्तिष्क में / आजाद होने का भ्रम पाल रहे हैं।''[4]

आजादी, संविधान और लोकतंत्र की स्थितियाँ आदर्श नहीं है। गरीबों, पिछड़े वर्गों की हालत अब भी खराब है। गरीब और दलित स्त्रियों की दशा तो नारकीय है। बदबूदार, बासी और जहरीले पानी का सेवन, रूखा–सूखा खा लेना, इनकी नियति बन चुकी है। ये पराये घरों का मैला साफ करते–करते स्वयं मैला बन कर रह जाती है। ऐसी स्थिति में कवि मानवाधिकार का प्रश्न उठाता है – ''जब तक रामेसरी के हाथ में / खडांग खांग घिसटती लौह गाड़ी है / मेरे देश का लोकतंत्र / एक गाली हैं।''[5]

गरीबी के कारण आम व्यक्ति का मान सम्मान खो गया है। सम्मानपूर्वक जीवन एक मानवाधिकार है। गरीब बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। खेलने कूदने की उम्र में वे रोजी–रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। अमीरी–गरीबी का यहीं अंतर बचपन में ही नजर आता है। गोरख पांडेय लिखते हैं– ''बच्चों में से कुछ बच्चे / हुए बनिया हाकिम / और दलाल / हुए मालामाल और खुशहाल / बाकी बच्चों ने / सड़क पर कंकड़ कूटा / दुकानों में प्यालियाँ धोयी / साफ किया टट्टीदार / खाये तमाचे / बाजार में बिके कौड़ियों के मोल / गटर में गिर पड़े हैं।''[6] आम जनता में पुलिस की छवि अच्छी नहीं है। आम आदमी को 'पुलिस' शब्द से ही डर लगता है। पुलिस अभिरक्षा में गरीबों या कमजोरों के साथ यातनापूर्ण या अपमानजनक व्यवहार करती है। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन कविता में अभिव्यक्त हुआ है। लीलाधर जगूड़ी की कविता 'बलदेव खटिक' में पात्र रंगतू पेट भरने के लिए थोड़ा सा अनाज चुरा लेता है। पुलिस का कहर उस बेचारे पर टूट पड़ता है – ''अपनी

लात में ताकत पैदा करके / उन्होंने उसे लूट से उठाया / और तुरन्त उसके हाथ बांध दिए / ....फिर थोड़ा बचे हुए अनाज के साथ / उसे शहर ले गए / जहाँ आदमी के लिए / जेल और पोस्टमार्टम की पूरी व्यवस्था है।"[7] पुलिस आम जनता पर बहुत अत्याचार करती है। वह जन सामान्य के प्रति दुर्व्यवहार करती है। पुलिस कानून को हाथ में लेकर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, वह किसी को गायब करवा सकती है। उसका भ्रष्टचारी रूप में आम जनता में खौफ पैदा करता है। मानवाधिकारों का हनन करने वाली पुलिस जब इलाके में आती है तो आम प्रतिक्रियाएँ किस प्रकार होती है, कवि लिखता है– "तुम मूँछे तरेरते हुए आते हो / तुम्हारे आने के फौरन बाद / हवा में मांसाहारी गंध फैल जाती है / सिकुड़ने लगते हैं रास्ते के लोग / डंडे की खटखट से / खड़े हो गए हैं खोमचे वालों के कान / नींबू बेचने वाली बुढ़िया गली में / सरक रही है / पैजामे का नाड़ा खोलकर / लैमनचूस बेचने वाला लड़का नाली पर / बैठ गया है।"[8]

मानवाधिकारों में सभी मनुष्य के लिए पढ़ने, भोजन–वस्त्र प्राप्त करने अपने आवास बनाने एवं रहने के अधिकार शामिल हैं। मनुष्य प्रदूषण मुक्त वातावरण में निवास करने का अधिकारी है। पर गरीबों के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल है। उनका जन्म किसी फुटपाथ या किसी तम्बू में होता है और वे वहाँ गुजर करते हैं। उनके घर का सपना पूरा नहीं हो पाता। इस प्रकार आवास या घर के इस मानवाधिकार की मांग कवि अपने काव्य में उठाता है– "एक मिट्टी की दीवार के पास / एक पीढ़ी लगी है / न जाने कब से / और एक औरत एक आदमी / दीवार पर मिट्टी थाप रहे हैं / मैं पैदा हुआ हूँ तक से / यह घर कब तैयार होगा / मैं इस घर से बहुत दूर हूँ / पर इस घर के बने बिना उतना ही अधूरा हूँ / मैं जोर–जोर से चीखकर / एक 'साबुत घर' कहना चाहता हूँ।"[9]

महिला सम्मान, स्त्री पुरूष की बराबरी, यौन–शोषण से मुक्ति, दहेज व भ्रूण हत्या से सुरक्षा आदि मानवाधिकार महिलाओं के लिए हैं। समाज में स्त्री को दोयम दर्जे पर ही रखा गया है। स्त्री की दुर्दशा का चित्रण कविता में कर उसके वंचित मानवाधिकारों की वकालत कवि करता दिखाई देता है। कवि असद जैदी की कविता में आम लड़की अपनी व्यथा व्यक्त करती है– "माँ देखो हम पतीलियाँ हैं / हमारी कालिख धोयी जायेगी, नहीं धोया जायेगा हमें तो / हम बन कालिख / बढ़ती रहेंगी और चीथड़े / भरती रहेंगी शरीर में जब तक है गोलापन और स्वाद / हम सूखेंगी अपनी रफ्तार से / हम सूख जायेंगी / हम खड़खड़ायेंगी इस धरती पर सन्नाटे में / मोखों में चूल्हों पर दोपहरियों में / अपना कटोरा बजाएंगी हम / हमारा कटोरा भर देना।"[10]

स्पष्ट है हिन्दी कविता में मानवाधिकारों का प्रश्न उठाया जा रहा है। मानवाधिकारों का प्रश्न केवल कानून से ही हल नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार कानून बने सात दशक हो चुके हैं पर इन पर संकट हाल के समय में अधिक बढ़ गया है। आज हम आधुनिकता से आगे बढ़कर उत्तर–आधुनिकता के युग में प्रवेश कर चुके हैं पर आम आदमी की दशा जस की तस है। जिन लोगों के पास सत्ता है, शासन है, पैसा है, पद है वे अपनी शक्ति का दुरूपयोग करने में लगे हैं। अपने पैसे और पद की पावर से वे कानूनों का उल्लंघन कर बच निकलते हैं। ऐसे में कानून और बाह्य बंधनों से ज्यादा साहित्य महत्त्वपूर्ण हो जाता है। साहित्य व्यक्ति में संवेदना जगाकर भीतर से बदलाव की प्रेरणा देता है। साहित्य आत्मा पर असर डालता है। हिन्दी कवि मानवाधिकारों की असफलता को बताता है। वह निम्न एवं आम वर्ग की दुर्दशा का चित्रण करता है। वह समाज में संदेश देता है कि इस अभावग्रस्त तबके को मानवाधिकार मिल नहीं रहे हैं। उस समाज तक मानवाधिकारों की पहुँच होनी चाहिए।

संदर्भ संकेत –

1. तलाश – ब्रजेन्द्र त्रिपाठी, जयश्री प्रकाशन, नई दिल्ली, 1990 ई., पृष्ठ 27
2. स्थित प्रज्ञ – रमेशचन्द्र शाह, हरिश्चन्द्र आओ, प्रकाशन संस्थान, दिल्ली, 1980 ई., पृष्ठ 17
3. इस पौरूषपूर्ण समय में – जयप्रकाश कर्दम, कात्यायनी, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 1999 ई., आवरण पृष्ठ
4. जिन्दगी– रघुवीर सहाय, जन साहित्य, अंक 05, मई 1976 ई., पृष्ठ 119
5. सदियों का संताप – ओमप्रकाश वाल्मीकि, फिलहाल प्रकाशन, देहरादून, 1989 ई., पृष्ठ 13
6. बच्चों के बारे में – गोरख पांडेय, जागते रहो सोने वालो, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली, 1983 ई., पृष्ठ 10–12
7. बलदेव खटिक – लीलाधर जगूड़ी, बची हुई पृथ्वी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1977 ई., पृष्ठ 103
8. सिपाही : एक दृश्य – विनोद दास, खिलाफ हवा से गुजरते हुए, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 1986 ई., पृष्ठ 72
9. एक साबुत घर के लिए – चन्द्रकांत देवताले, लकड़बग्घा हँस रहा है, संभावना प्रकाशन, हापुड़, 1980 ई., पृष्ठ 65
10. बहनें – असद जैदी, उत्तरगाथा, नई दिल्ली, जनवरी–मार्च 1984 ई., पृष्ठ 16

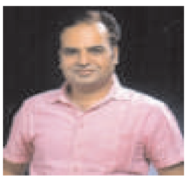

डॉ. गोपीराम शर्मा
सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)

श्री भूपेन्द्र कुमार महेन्द्रा
सहायक प्रोफेसर, ईएएफएम विभाग, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.)

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- Directory Of Research Journal Indexing
- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-
413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com